संख्या-15/567/71-1-2014-जी-52/2014

प्रेषक

सुभाष चन्द्र राय
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 01 अक्टूबर, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में फायर हाईड्रेन्ट सिस्टम, फायर एलार्म सिस्टम की स्थापना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2014/927, दिनॉक 14-02-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-31 के आयोजनागत पक्ष में मेडिकल कालेज, गोरखपुर में फायर हाईड्रेन्ट सिस्टम, फायर एलार्म सिस्टम की स्थापना हेतु रू0 4,83,46,000/- (रू0 चार करोड़ तिरासी लाख छियालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष रू0 86,88,000/- (रू0 छियासी लाख अठ्ठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित फायर फाइटिंग संबंधी कार्यो का इन्स्ट्रालेशन एवं निर्माण आदि मेडिकल कालेज/अस्पताल की रनिंग कंडीशन में ही कराया जाना होगा। अत- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य विभिन्न विभागाध्यक्षों से समन्वय कर इस प्रकार सुनियोजित किये जाये कि कार्य करने के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

2- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा कार्यदायी संस्था से अग्निशमन विभाग एवं यथावश्यक किसी अन्य संबंधित काम्पीटेन्ट अथारिटी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- आगणन में प्रस्तावित प्रोपराइटरी संबंधी कार्य मदों में व्यय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त् मद में वास्तविकता के आधार पर धनरापशि स्वीकृत की जाय।

4- चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए एक अनुश्रवण समिति का गठन कर दिया जाय तथा इसी अनुश्रवण समिति की देख-रेख में निर्माण कार्य सम्पादित कराया जाय।

5- परियोजना में प्रस्तावित विशिष्टियॉ में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

http://sharadesh.up.nic.in

7- परियोजना में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

9- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-07-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

10- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज नहीं लिया जाएगा। आगणन में उल्लिखित एक प्रतिशत लेवर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2155/दस-2014, दिनॉक 22 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(सुभाष चन्द्र राय)
विशेष सचिव

संख्या:-15/567(1)/71-1-2014 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
3- कोषाधिकारी, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-19, गोरखपुर।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन को चिकित्सा शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
10- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in